(वाद सं0–2561/2017)

14.07.2021

परिवादी, शहजाद आलम अपने साथी, अरूण कुमार, के साथ उपस्थित है।

परिवादी को सुना।

प्रसंगाधीन मामला, State Vendor (Protection of livelihood and Revaluation of Street Vending) Act, 2014 के पटना नगर निगम क्षेत्र में अनुपालन से संबंधित है।

परिवादी का कथन है कि अभी तक संबंधित प्राधिकार द्वारा पटना नगर निगम क्षेत्र में Street Vending Zone का निर्माण पूर्णरूपेण नहीं किया गया है और न ही किसी भी Vendor को उपरोक्त Vending Zone में कोई भी स्थान दिया गया है।

परिवादी, शहजाद आलम व उनके साथी अरूण कुमार का सामूहिक रूप से कथन है कि इस संबंध में कई मामले माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर किये गये है तथा माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा उनमें यथाशीघ्र Street Vender के समस्याओं का निराकरण करने हेतु निर्देश दिया गया है, लेकिन अभी तक संबंधित प्राधिकारों द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है।

यहां यह उललेखनीय है कि उक्त के संबंध में समरूप मामला माननीय पटना उच्च न्यायालय में भी लंबित है या निष्पादित किये जा चुके हैं।

अब, जबकि समरूप मामले माननीय पटना उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग के स्तर से उपरोक्त के संबंध में कोई निर्देश/आदेश/अनुशंसा किया जाना उचित नहीं है।

फिर भी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए जनहित में, परिवादी द्वारा राज्य आयोग के समक्ष समर्पित आवेदन (पृ0–307–286/प0) की प्रति संलग्न कर **प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए उनसे अनुरोध** किया जाय कि प्रसंगाधीन मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेशों के आलोक में, आठ सप्ताह के अन्दर, विधि–सम्मत कार्रवाई कर कृत कार्रवाई से परिवादी को अवगत करा दिया जाय।

दूसरी तरफ परिवादी को यह सलाह दी जाती है कि जबकि पूर्व से ही इस संबंध में समरूप मामले माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तो ऐसी परिस्थिति में माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष ही विधिनुसार याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

प्रसंगाधीन मामला को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक